

फटे अहकाम

(विषय 20)

अज अदालत उपकरण कारिगरी सिकराय
 सरकार बनाम सोन्या
 किरम मुकदमा दावा मु० नं० 80/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागील में जारी हुए
२२/३/१९	<p>पत्रावली पेश हुई / पेंरोकार सरकार उपरिषत । पेंरोकार सरकार को सुना गया । फतावली का अवलोकन किया गया व बहस का मनन किया ।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध यकी मौका में अंकित हैं कि विवादित भूमि के दर्जे खातिदार सोन्या, शरया, श्रवण वर्गों नाम के व्यक्ति गाँव में नहीं हैं।</p> <p>इस रिपोर्ट दि० २०-३-२०१७ के आधार पर यह प्रकरण थायलैण्ड हाजा में चलने योग्य नहीं है। क्योंकि यह विवादित भूमि के रिकॉर्ड में दर्जे खातिदार नाम के व्यक्ति गाँव में नहीं हैं तो लावदिश की कार्यवाही ही हो सकती है जो कि सक्षम न्यायालय में रीफरेंस के जरिए ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण खारिज किए जाने योग्य है।</p> <p>अतः दवादारी खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सिकराय को निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित विवादित भूमि के सम्बन्ध रिकॉर्ड में दर्जे खातिदारान गाँव में नहीं है या लापता हो तो तत्पर सिकराय चाहे तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार रीफरेंस की कार्यवाही कर सकते हैं।</p> <p>फतावली फंसल सुभार बेकर नम्बर से कम हो निश्चि मेरेकरा सुनाये जा कर खुले न्यायालय</p>	

मे सुनाया गया / 31.22.13/19
